उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,

संख्या-24/2023/1151/94-स्टा0नि0-2-2023-700(78)/2023

लखनऊ : दिनांक- 26 अक्टूबर, 2023

<u>अधिसूचना</u> आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16, सन् 1908) की धारा-78-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 के अधीन नई इकाई की स्थापना हेतु पूर्वोक्त नीति के पैरा-7 के अनुसार उसमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ ऐसे सारणी के स्तम्भ-4 में यथा दर्शित लिखतों के सम्बन्ध में नीचे सारणी के स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित सीमा तक रिजस्ट्रीकरण शुल्क में छूट प्रदान करती हैं-

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 का पैरा	प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
	पात्र पर्यटन इकाईयों को उत्तर		भारतीय स्टाम्प अधिनियम,
	प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 के		1899 के अनुच्छेद-23 के
	कार्यान्वयन अवधि के दौरान	100%	खण्ड-(क) के अधीन
	केवल प्रथम संव्यवहार हेतु		हस्तान्तरण एवं अनुसूची (ख) के
	रजिस्ट्रीकरण शुल्क में छूट		अनुच्छेद ३५ के अधीन पट्टा की
			लिखत पर

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोल्लिखित छूट निम्नलिखित प्रतिबन्धों / शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है -

- 1-यदि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 किन्हीं कारणों से समाप्त हो जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन माफी उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहत की गई समझी जायेगी।
- 2-जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, उद्योग को हस्तान्तरण/पट्टा लिखत में पुष्टि करनी होगी कि विलेख, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 के अधीन निष्पादित किया जा रहा है और उसे उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में भी हस्ताक्षर करना होगा।
- 3-किसी अन्य नीति के अधीन रजिस्ट्रीकरण शुल्क छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई इस नीति और अधिसूचना के अधीन रजिस्ट्रीकरण शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।
- **4-**अधिसूचित उपबन्धों का क्रियान्वयन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी वर्तमान प्रक्रिया सम्बंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- 5-इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध, प्रशासकीय विभाग (पर्यटन विभाग) द्वारा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में जारी शासनादेश के दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।
- 6-रिजस्ट्रीकरण शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक गारण्टी, सम्बन्धित जिला के जिला मिजस्ट्रेट के पक्ष में ऐसे विलेख के रिजस्ट्रीकरण के समय रिजस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक गारण्टी की परियोजना को पूरा करने के लिए नीति में यथा विहित अविध से कम नहीं होनी चाहिये हेतु नीति में प्रावधानित की गई है।
- 7-स्टाम्प शुल्क छूट को आच्छादित करने वाले बैंक गारण्टी के नियम और प्रक्रिया रिजस्ट्रीकरण शुल्क छूट को आच्छादित करने वाले बैंक गारंटी पर यथावश्यक परिवर्तन सिहत लागू होंगे।

आज्ञा से, लीना जौहरी प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2023/1151(1)/94-स्टा0नि0-2-2023-700(78)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता विशेष सचिव।

संख्या-24/2023/1151(2)/94-स्टा0नि0-2-2023-700(78)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- **1-** महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ आफसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।
- **6-** गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह अनु सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (a) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification of Government Notification No-**24/2023/**1151/94-S.R.-2-2023-700(78)/2023 dated, 26 October, 2023.

Notification Order.

No-**24/2023/**1151/94-S.R.-2-2023-700(78)/2023 Lucknow, dated, 26 October, 2023.

In exercise of the powers under section-78-A of the Registration Act 1908 (Act No. 16 of 1908) as amended, from time to time, in its application to Uttar Pradesh, the Governor of Uttar Pradesh, from the date of publication of this Notification in the Gazette, is pleased to remit the Registration Fee, for establishing new unit under the Uttar Pradesh Tourism Policy 2022, in accordance with the Para-7 of the above said Policy, for the purposes of the objectives specified therein, to the limit as mentioned in column-3 of the table below in relation to the Instrument as shown in column-4 -

Para of Uttar Pradesh Tourism Policy 2022	Purpose	Exemption Limit	Nature of Instrument
1	2	3	4
Para-7	Registration Fee exemption to the eligible Tourism Units, for the first transaction only, during the operative, period of this policy.	100%	On the instrument of conveyance under Clause-(a) of Article-23 & Lease of Article-35 of Schedule- (b) of the Indian Stamp Act

The aforementioned exemption under this notification is subject to the following prohibitions/conditions:

- 1- In case, Uttar Pradesh Tourism Policy 2022, comes to an end, by any means, the remittance under this notification, shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.
- **2-** The District Magistrate/ Deputy Commissioner of Industries concerned District shall confirm in the Instrument of conveyance/ Lease that the deed is being executed under the Uttar Pradesh Tourism Policy 2022 and also signs as a witness for the said purpose.

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- **3-** The unit which has obtained the benefit of Registration Fee exemption under any other policy will not be eligible for a Registration Fee remittance/ exemption under this policy and notification.
- **4-** The implementation of the notified provisions shall be done according to the extant procedural guidelines issued by the Stamp & Registration Department.
- **5-** The provisions mentioned in the above notification will be considered effective from the date of the Government Order issued by the Administrative Department (Tourism Department) regarding the implementation of the policy.
- **6-** Irrevocable bank guarantee of the amount equivalent to the remission of Registration Fee in favour of the District Magistrate of the concerned district shall be presented before the registration officer at the time of registration of such deed. The period of the Bank guarantee should not be less than the period, as prescribed in the policy, for the completion of project.
- **7-** Rules and procedure of Bank Guarantee covering stamp duty exemption shall apply mutatis mutandis to the Bank Guarantee covering registration fee exemption.

By order,

Leena JohriPrincipal Secretary.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।